Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 18-08-2005

Participants : Ahir Shri Hansraj Gangaram

>

Title : Regarding distribution of coal and captive block allotment by the Coal India Limited.

श्री हंसराज जी.अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के उत्पादन तथा वितरण प्रणाली की ओर आकर्ति करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मनमानी और गलत पद्धति अपनाई जा रही है। कोयला मंत्रालय द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों और बिजलीघरों को कोयला सप्लाई किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कोयला मंत्रालय ने कोयले की 'ई' ऑक्शन प्रणाली अपनाई है जिसके माध्यम से कोयले को नीलाम किया जा रहा है। हमारे देश में छोटे उद्योग और बिजली बोर्ड कोयले की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोयले की आपूर्ति न कर के कोयले को नीलाम करने की जो नीति बनाई गई है, वह ठीक नहीं है। यह नीति देश की आर्थिक उन्नति हेतु उपयुक्त नहीं है। देश में कोयले के उत्पादन में कमी होने के बावजूद कोयले को नीलाम किया जाना ठीक नहीं है। यह देश के छोटे-छोटे उद्योगों और बिजलीघरों के साथ छल है। इस कारण उद्योग बन्द हो रहे हैं और बिजलीघरों में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कोयले की 'ई' ऑक्शन प्रणाली को तुरन्त बन्द करें ताकि देश के बिजलीघरों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हो सके और देश के छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला मिल सके। मैं इस प्रणाली को बन्द करने का आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के छोटे उद्योगों को कोयला खुले बाजार से महंगी दरों पर खरीदना पड़ रहा है जिससे देश के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। देश में 15 से 20 प्रतिशत लोगों को रोजगार इन्हीं छोटे उद्योगों के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए इन उद्योगों को संरक्षण देने की जरूरत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से उद्योगों और बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति मिल रेट पर करने का आग्रह करता हूं।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मैं कोल इंडिया के एक दूसरे निर्णय की ओर भी आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। कोल इंडिया ने भूखंडों से कोयले के खनन हेतु कैप्टिव माइनिंग का कार्य निजी लोगों को देने की नीति बनाई है। इस नीति के अन्तर्गत भूखंड कोयला खनन हेतु निजी लोगों को दिए जा रहे हैं। ये भूखंड निजी कंपनियों को, जिनमें स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और पावर जनरेशन करने वाले प्लांट आते हैं, उन्हें कैप्टिव माइनिंग हेतु दिए जा रहे cé[rpm112]।

[i113]

हमने देखा है कि अनेक ब्लाक्स निजी क्षेत्र में, जहां किसी भी तरह का स्टील या सीमेण्ट का उद्योग नहीं, पावर जैनरेशन भी नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को दिये गए है, जिस वजह से राज्य सरकारों ने बिजली बोर्डों के लिए कोयले की मांग रखी है। उन सरकारों के बिजली बोर्डों को कैप्टिव ब्लाक्स नहीं दिये जाने की वजह से बिजली बोर्ड भी बिजली जैनरेशन में पीछे गिर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों ब्लाक संबंधी नीतियों की वजह से हमारे देश में कोयले की मांग करने वाले उद्योगों के साथ धोखा हुआ है। इस नीति की वजह से हमें शंका है कि इसमें सेक्रेटरी लेवल पर या कोल इंडिया के चेयरमैन द्वारा निश्चित ही भ्रटाचार किया गया होगा, इसलिए इसकी जांच करने और नीति तुरन्त बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।